रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 2 सितम्बर, 1989/11 भाद्रपद, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(विधायी खण्ड)

शुद्धि पत्र

शिमला-2, 3 अगस्त, 1989

क्रमांक एल०एल०आर०डी० (6) 20/86 लैसिज.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 1 सितम्बर, 1986 जो कि राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) के पृष्ठ 1431 पर तारीख 1 सितम्बर, 1986 में प्रकाशित हुई थी, में "राष्ट्रपति द्वारा" शब्दों के स्थान पर "उनके द्वारा" शब्द पढ़े जाएं ।

आदेश द्वारा,
राज कुमार महाजन,
सचिव (विधि) ।

पंचायती राज विभाग

कारण बताओ नोटिस

शिमला-2, 25 जुलाई, 1989

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) 22/85.—क्योंकि श्री अमर सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत काल्लर के विरुद्ध ग्राम सभा के कुछ सदस्यों द्वारा की गई शिकायत पर जिला अंकेक्षण अधिकारी, बिलासपुर द्वारा की गई छानबीन के

1921-राजपत्र/89-2-9-89—1,215.

मूल्य: 1.00 रुपया ।

फलस्वरूप निम्न तथ्य सामने आए हैं ।

कि उक्त प्रधान पंचायत की बैठकों में नियमित रूप से भाग नहीं ले रहे हैं परन्तु बैठकों के उपरान्त कार्यवाही रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर कर देते हैं ।

कि उक्त प्रधान प्राय: रविवार व अन्य अवकाश वाले दिन पंचायत की बैठक बुलाते हैं जिससे पंचायत सदस्य सहमत नहीं हैं ।

कि उक्त प्रधान हिमाचल प्रदेश विश्व विद्यालय में कानून के सहायक प्राध्यापक पद पर कार्यरत हैं तथा उन्होंने यह चुनाव लड़ने के लिए विश्व विद्यालय के नियमों की उल्लंघना करते हुए कानून के उपबन्धों अनुसार कोई भी इजाजत नहीं ली ।

कि प्रधान के 4-4-88 की कार्यवाही पुस्तिका पर ग्राम सभा की बैठक में हस्ताक्षर हैं, परन्तु वास्तव में ग्राम सभा की कोई बैठक नहीं हुई है ।

और क्योंकि प्रधान श्री अमर सिंह के उपरोक्त कृत्य पंचायत की कार्य कुशलता में बाधक सिद्ध हो रही है ;

अत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 जिसे हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाता है के अन्तर्गत श्री अमर सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत कल्लर को निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं कि क्यों न उन्हें उपरोक्त कृत्य के लिए उनके पद से निलम्बित किया जाए । उनका स्पष्टीकरण इस नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर-भीतर जिलाधीश, बिलासपुर के माध्यम से इस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

यह आदेश इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 मार्च, 1989 के अधिलग्नक में जारी किये गए।

हस्ताक्षरित/-
संयुक्त सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।